

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में,

हरियाणा सरकार के

1. सभी विभागाध्यक्ष, अम्बाला, करनाल, हिसार, गुडगांव, फरीदाबाद तथा रोहतक मंडल के आयुक्त तथा सभी जिलों के उपायुक्त।
2. रजिस्ट्रार, माननीय पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़।
3. सभी उप-मण्डल अधिकारी।
4. सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरियाणा।
5. सभी बोर्डों/निगमों के प्रबंधक निदेशक।
6. हरियाणा राज्य के सभी विश्वविद्यालय।

दिनांक, चंडीगढ़ 2 जनवरी, 2019

विषय

हरियाणा राज्य में हिन्दी भाषा का प्रचलन।


महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में मुझे निर्देश हुआ है कि मैं आपका ध्यान सरकार द्वारा जारी हिदायतें क्रमांक 12/45/93-6जी0एस01, दिनांक 25-5-1993 एवं 62/37/98-6जी0एस01, दिनांक 6.10.1999 की ओर आकर्षित करूं जिसके माध्यम से यह निर्देश दिये गये थे कि भविष्य में सभी प्रशासनिक विभाग राष्ट्रभाषा हिन्दी में ही सरकारी टिप्पणियां व पत्राचार करें। अंग्रेजी का प्रयोग केवल उन कानूनी मामलों में किया जाए जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय से संबंधित हों। इसी प्रकार भारत सरकार या दूसरे राज्यों से भी पत्राचार हिन्दी में ही किया जाए, परन्तु यदि अत्यावश्यक हो तो एक अंग्रेजी रूपान्तरण साथ में भेजा जाए। इसके अतिरिक्त हिदायतें क्रमांक 62/24/2016-6जी0एस01, दिनांक 8.6.2016 तथा 1.2.2018 द्वारा सभी विभागों/उपायुक्तों/बोर्डों/निगमों आदि को यह निर्देश भी जारी किए गए थे कि उनके विभागीय प्रयोग से संबंधित सभी फार्मों, आवेदन पत्रों का हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में स्पष्ट अनुवाद करवाएं व अपनी विभागीय website पर उपलब्ध करवाना अपने स्तर पर सुनिश्चित करें, ताकि आम जनता को इन्हें समझने में परेशानी न हो।


2. सरकार के ध्यान में पुनः लाया गया है कि बार बार निर्देश जारी किए जाने के बाद भी इन हिदायतों की पालना नहीं की जा रही है। विभागों द्वारा राजभाषा अधिनियम 1963 तथा 1969 के प्रावधानों की लगातार अवहेलना की जा रही है तथा कार्यालयों में पत्राचार व कार्य अंग्रेजी भाषा में ही किया जाता है तथा अधिकतर आदेश भी केवल अंग्रेजी भाषा में ही जारी किए जाते हैं जिन्हें समझने में आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

3. सरकार द्वारा मामले में गम्भीरता से संज्ञान लिया गया है तथा पुनः सख्त निर्देश दिये जाते हैं कि सभी विभाग राजभाषा हिन्दी में ही टिप्पणियां व पत्राचार करें। अंग्रेजी का प्रयोग केवल उन कानूनी मामलों में किया जाए जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय से संबंधित हो। सभी विभाग उनके विभागीय प्रयोग से संबंधित सभी फार्मों, आवेदन पत्रों का हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में स्पष्ट अनुवाद करवाना व अपनी विभागीय website पर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त विभागाध्यक्ष आम जनता से पत्राचार हिन्दी भाषा में ही करना तथा सभी विभागीय आदेश हिन्दी भाषा में ही जारी करना व्यक्तिगत स्तर पर सुनिश्चित करें।

3. इन निर्देशों की कड़ाई से पालना करने हेतु सरकार के सख्त आदेश हैं।

  
अधीक्षक, सामान्य सेवार्य-1 शाखा,  
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

एक प्रति हरियाणा सरकार के सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है।

  
अधीक्षक, सामान्य सेवार्य-1 शाखा,  
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में,

हरियाणा सरकार के सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव।

अशा.क्रमांक 62/24/2016-6जी0एस01

दिनांक, चंडीगढ़ 2 जनवरी, 2019